

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जय

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

उक्त पक्ष उपरोक्त प्रमाणों के बिना ही राजकीय
कार्य से बाहर है। अतः प्रमाणों पर ही कार्य किया है।
आज्ञा प्रदान की दिनांक 26.3.19 को देता हूँ।
पूर्व को आदेश संख्या 100/19
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

14/3/19

अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिगट से तलब की गई प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता से बताया की प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ प्रकरण इसी स्टेज पर मोट प्रेस में स्वारीज फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली का अतलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर भवक किया। ब्यवहित में अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की स्वीकार किया जाकर अधिवक्ता द्वारा अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर मोट प्रेस में स्वारीज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार की जाकर खल वाद पत्र के साथ संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

~~Not Passed~~
14.3.19